राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 865वी बैठक दिनांक 23.01.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 865वी बैठक दिनांक 23.01.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमा माहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
A. Standard ToR Recommended by SEAC						
1.	P-2/548/2024	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	For Standard ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	P-2/583/2024	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	For Standard ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
3.	P-2/542/2024	1(a)	कटनी	लेटेराईट खदान	For Standard ToR	स्वीकृत
4.	P-2/543/2024	1(a)	सागर	पत्थर खदान	For Standard ToR	Defer
5.	P-2/540/2024	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	For Standard ToR	Defer
6.	P-2/546/2024	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	For Standard ToR	Defer
7.	P-2/584/2024	1(a)	छतरपुर	ग्रेनाईट खदान	For Standard ToR	Defer
8.	P-2/585/2024	1(a)	छतरपुर	ग्रेनाईट खदान	For Standard ToR	Defer
9.	P-2/586/2024	1(a)	जबलपुर	पत्थर खदान	For Standard ToR	Defer
10.	P-2/559/2024	1(a)	देवास	पत्थर खदान	For Standard ToR	Defer
11.	P-2/600/2024	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	For Standard ToR	Defer
12.	P-2/601/2024	1(a)	कटनी	पत्थर खदान	For Standard ToR	Defer
13.	P-2/602/2024	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	For Standard ToR	Defer
14.	P-2/603/2024	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	For Standard ToR	Defer
15.	P-2/604/2024	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	For Standard ToR	Defer
16.	P-2/605/2024	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	For Standard ToR	Defer
17.	P-2/566/2024	1(a)	सागर	फर्शीपत्थर खदान	For Standard ToR	Defer
18.	P-2/570/2024	1(a)	इन्दौर	पत्थर, एम.सेण्ड एवं मुरूम खदान	For Standard ToR	Defer
19.	P-2/622/2024	1(a)	इन्दौर	पत्थर खदान	For Standard ToR	Defer
B. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा						

(आर. उमा माहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

20.	P-2/960/2024	1(c)	छिन्दवाडा	सिचाई परियोजना	For ToR	**स्वीकृत**
21.	P-2/489/2024	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	**Defer**
22.	P-2/820/2024	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	For ToR	**स्वीकृत**

A. SEAC द्वारा अनुशंसित प्रकरण –

1. **प्रकरण क P-2/548/2024** परियोजना प्रस्तावक श्रीमति सारिका अलावा पत्नि श्री श्याम अलावा निवासी न्यू वी आई पी रोड कोहेफिजा, भोपाल जिला भोपाल (म.प्र.) 462001, द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 32,191 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.570 खसरा कमांक 140 ग्राम करामी, तहसील– माडा, जिला– सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

   प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

   1. प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक के द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण सलाहकार का QCI/NABET सर्टिफिकेट जिसकी वैधता दिनांक 26.01.2024 तक अंकित है जो कि आवेदन दिनांक 22.02.2024 के पूर्व ही समाप्त हो गई।
   2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा पंचशाला एवं ग्राम पंचायत का अनापत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
   3. प्रकरण में प्रस्तावित खदान की जानकारी का उल्लेख स्वीकृत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित नहीं है।
   4. प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में परियोजना प्रस्तावक का नाम गलत अंकित है।

   राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा उपर्युक्त त्रुटियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि SEAC उपरोक्त बिन्दुओं का समावेश करते हुए पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत करें।

2. **प्रकरण क P-2/583/2024** परियोजना प्रस्तावक श्री अज्ञात गुप्ता, निदेशक, डी. जी. मार्बल एंड ग्रेनादट एलएलपी, 158 ततीय तल, जोन 2 , एम पी नगर, भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 32,191 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 5.400, खसरा कमांक 431 ग्राम भिथरिया तहसील– लवकुशनगर, जिला– छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(आर. उमा माहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण में प्रथम दृष्टिया निम्ननुसार स्थिति पायी गई :—

1. प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. प्राधिकरण द्वार प्रकरण के परीक्षण में पाया कि **SEAC ने अपनी 749वी बैठक दिनांक 13.05.2024 में उल्लेख किया है कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये आवेदित भूमि खसरा क्रमांक 431 रकबा 5.40 हेक्टैयर नॉन फॉरेस्ट लैण्ड है, जबकि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल छतरपुर ने अपने पत्र क्रं. मा.चि./2017/4685 दिनांक 12.12.2017 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि आवेदित क्षेत्र वन भूमि है।** वनमण्डलाधिकारी द्वारा आवेदित क्षेत्र वन सीमा अंतर्गत आने का उल्लेख भी किया है एवं जियो कॉर्डिनेट्स भी दिये हैं। वन भूमि को सामान्य भूमि बताना गंभीर त्रुटि है, अतः SEAC प्रकरण का पुनः परीक्षण करें एवं यह तथ्य भी बताये कि इतनी गंभीर त्रुटि किस कारण से हुई है।

3. प्रकरण क P-2/542/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री अखिलेश गोस्वामी, निवासी गोस्वामी धर्मकांटा ग्राम पथरा पोस्ट भधोरा न. 1, तहसील बडवारा जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 32,191 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 27.13 हेक्टेयर, खसरा कमांक 163 ग्राम भिजोरी तहसील— बडवारा, जिला— कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **749वी बैठक दिनांक 13.05.2024** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट—डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 749वी बैठक दिनांक 13.05.2024 में SEAC की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट—1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट—5) सहित प्रकरण में ToR अनुमोदित (Approved) किया जाता है, आवेदक को सूचित किया जावे :—

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खादान क्षेत्र से 250 मीटर के अंदर स्थित वन क्षेत्र के संबंध में संभागीय आयुक्त, जबलपुर की अनुशंसा का उल्लेख किया है किन्तु अनुशंसा संलग्न नहीं है। अतः ईआईए के प्रतिवेदन के साथ अनुशंसा संबंधी पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जावे।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में कलेक्टर कटनी द्वारा जारी एकल प्रमाण ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही

(आर. उमा माहेश्वरी) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित प्रकरणों में जानकारी संबंधी विस्तृत नोट नहीं है अतः निम्नलिखित प्रकरणों को पूर्ण जानकारी के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे :–

S. No.	Project Title	Decision
4.	Case No. P-2/543/2024 Shri Jay Kumar Jain, Partner, M/s BEDIKA CONSTRUCTION COMPANY, R/o- Tilak Ward Deori, Tehsil- Deori, DistrictSagar (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 03.00 ha. (Boulder- 15,000 m3/year, M-Sand-14,700 m3/year and Murum- 9,569 m3/year) (Khasra No. 72) Village- Katangi, Tehsil- Deori, Dist.- Sagar, (M.P.) TOR	**Defer**
5.	Case No. P-2/540/24 Shri PAWAN KUMAWAT, R/o- House No. A/23, Dongre Nagar, In front of Rathod Dharamshala, Ratlam, Madhya Pradesh – 457001. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 4.00 ha. (25080 M3/Year) (Khasra No. 10/1/1 d), Vill. Dhabaipada , Tehsil and Distt. Ratlam (M.P.) TOR.	**Defer**
6.	Case No. P-2/546/24 Shri Kamlesh Kumar Singh Partner of M/s Rahul Construction R/o - Village Karami, Tehsil mada , District Singrauli (M.P.) 486886, Prior Environment Clearance for Karami Stone Mine, Lease in an area of 1.540 ha. (15,385 cum per year) (Khasra No. - 141/668/1, 141/668/2, 141/668/3), VillageKarami, Tehsil -Mada, Dist.- Singrauli, (M.P.). [DEIAA] ToR.	**Defer**
7.	Case No. P2/584/24 Shri Agyat Gupta, Director, DG MARBEL AND GRANITES LLP, 158 3rd Floor, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 5.400 ha. (Granite- 4000 cum per annum Boulder-12612 cum per annum, Gitti-12612, cum per annumm & M-Sand- 100929 cum per annum) (Khasra No. 486) Village Bhitariya, Tehsil Lavkushnagar, District Chhatarpur (M.P.) TOR	**Defer**
8.	Case No. P2/585/24 Shri Agyat Gupta, Director, DG MARBEL AND GRANITES LLP, 158 3rd Floor, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 7.138 ha. (Granite- 4000 cum per annum, Boulder-15262 cum per annum, Gitti-15262 cum per annum & M-Sand-122096 cum per annum) (Khasra No. 542 & 544) VILLAGE BHITARIYA, TEHSIL LAVKUSHNAGAR, DISTRICT CHHATARPUR (M.P.) [MIN/463837/2024] TOR	**Defer**

(आर. उमा माहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

9.	Case No. P2/586/24 Shri Simran Singh Chhabra, Director, M/s ISC PROJECTS PRIVATE LIMITED, First Floor, 61A, Cabin No 1, Janta Tower, Besides Motors Mitra Petrol Pump, Napier Town Jabalpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. Boulder/Stone-1,71,878 M3/year, M-Sand : 51,563 M3/year, Murum: 22,960 M3/year) (Khasra No. 3) Village- Khurshi, TehsilJabalpur, Dist-Jabalpur, (M.P.). TOR	**Defer**
10.	Case No. P-2/559/24 B.S. MINES AND MINERALS, N-370 Malava County Bypass Road Indore District- Indore M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.5 ha. (45000 m3/Year) (Khasra No. 6/3//1), Bhaurasa, Tehsil- Sonkachha, District- Dewas (M.P.) TOR.	**Defer**
11.	Case No. P2/600/24 Shri Hargovind CHATURVEDI, Proprietor, M. No-15, Gram Badaurakalan, Gram Post Badaurakalan, Ghatahari, Chhatarpur, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.466 ha. (80]000 cum per annum) (Khasra No. 527, 528, 529, 530, 531, 532, 585) Village Badaura Kalan Tehsil Gaurihar District Chhatarpur (M.P.) TOR	**Defer**
12.	Case No. P2/601/24 Shri Piyush Yadav, Partner (Authorized Person), M/s PSY MINES & MINERAL, Flat no. 401 Sanghi Residency, Wright Town, Jabalpur (M.P) 482001. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 5.83 ha. (Dolomite- 1,11,332 TPA) (Khasra No. 165/2, 166/1, 169/1, 169/2,¼) VillageMagarhata , Tehsil-Badwara, Distt-. Katni, (M.P.) TOR	**Defer**
13.	Case No. P2/602/24 Shri Puniya Kondar, Ward No. 1, Padepurawa, Ajaygarh, Aramganj, Panna (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.00 ha. (Stone 1,80,000 TPA & M-Sand-1,20,000 TPA) (Khasra No. 762 Part) Village- Bishankhera, Tehsil - Chandla, District - Chhatarpur, (M.P.) TOR	**Defer**
14.	Case No. P2/603/24 Shri Puniya Kondar, Ward No. 1, Padepurawa, Ajaygarh, Aramganj, Panna (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 5.00 ha. (Stone 1,80,001 TPA & M-Sand-120001 TPA cum per annum) (Khasra No. 1455 Part) Village Mudahara, Tehsil - Gaurihar,District - Chhatarpur, (M.P.) TOR	**Defer**
15.	Case No P2/604/24 Shri Vidya Kondar, Village - Pandeypurwa, P.O. - Amanganj, Tehsil Ajaigarh, Panna (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (Stone 61,152 TPA & M-Sand- 40768 TPA) (Khasra No1529 Part) Village- Mudahara, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur, (M.P.) TOR	**Defer**
16.	Case No P2/605/24 Shri Vidya Kondar, Village - Pandeypurwa, P.O. - Amanganj, Tehsil Ajaigarh, Panna (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 6.00 ha. (Stone 1,80,001 TPA & M-Sand-1,20,001- TPA) (Khasra No. 412/5) Village- Doni, Tehsil - Lavkush Nagar, District - Chhatarpur, (M.P.) TOR	**Defer**
17.	Case No P-2/566/24 Shri BABULAL GUPTA, Owner, 46/144, Dharamdas baba toriya, titi road, opposite kaila mata mandir, tili ward, sagar (M.P.) Prior Environment Clearance for Flagstone Mine in an area of 1.70 ha.	**Defer**

(आर. उमा माहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

	(3000 cum per annum) (Khasra No. 164/2) Village- Chanari, Tehsil-Malthone, District- Sagar (M.P) TOR	
18.	Case No P-2/570/24 M/s. Tirumala Traders partner Pankaj Mishra, Owner, R/oManak Chowk Mhow District- Indore State- M.P. Prior Environment Clearance for Gitti, M-Sand and MUrrum in an area of 4.0 ha. (Gitti – 20000 m³/year, M-Sand – 56000 m³/year and Murrum - 7500 m³/year) (Khasra No. 420/1/1) Village- Akawi, Tehsil- Mhow, District- Indore (M.P) TOR	**Defer**
19.	Case No P2/622/24 Shri GOURAV PAL, Lessee, R/o- 93 A, Vishwakarma Nagar Indore, District-Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 4.50 ha. (Stone - 50000 Cum per annum) (Khasra No. 62/1/2/2), Village-Dhureri, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP) TOR	**Defer**

B. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा –

20. **Case No. P2/960/24**: Prior Environment Clearance for Shakkar Pench Link Combined Project Phase I (Hard Dam) Tehsil - Amarwara District – Chhindwara(M.P.). CCA- 31, 839 ha., The submergence area under the dam is estimated as 1087 ha by Chief Engineer, Office of Chief Engineer, Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Project, Bargi Hills, Jabalpur, Distt. - Jabalpur, (M.P.) 482001 [RIV/472148/2024] Cat. -1(c) ToR Project

SEIAA की 864वी बैठक दिनांक 20.01.2025 के निर्णय के पालन में परियोजना प्रस्तावक **के अधिकृत प्रतिनिधि श्री निखिलेश द्विवेदी (*A-E.,NVDA*) एवं श्री शोभित कुमार मिश्रा (जनरल मैनेजर, मेसर्स अडानी *LCC–JV*) प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई :–**

1. परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधियों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा फॉरेस्ट क्लीयरेन्स नहीं लिया गया है। उनके द्वारा इस बात का भी आश्वासन भी दिया गया है कि फॉरेस्ट क्लीयरेन्स विधिवत प्राप्त करके ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे।
2. उनके द्वारा यह भी बताया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area, forest area से संबंधित समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जाने वाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करेंगे।
3. उनके द्वारा बताया गया कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जायेगा।
4. उनके द्वारा बताया गया कि site specific mangement plan का विस्तृत अध्यन कर EIA में उल्लेख करेगें।
5. उनके द्वारा बताया गया कि sand की कमी को देखते हुए sand के पुर्नउपयोग का प्रावधान को EIA में उल्लेख करेंगे।
6. उनके द्वारा बताया गया कि प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करेंगे।

(आर. उमा माहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

7. उनके द्वारा बताया गया कि संचालन अवधि के दौरान marshy land की स्थिति बनने पर क्या control measures लिए जायेंगे उसका विस्तृत विवरण ईआईए रिपोर्ट में करेंगे।
8. उनके द्वारा बताया गया कि रिसाव का पता लगाने की योजना उसके नियत्रण हेतु उपायों और एमएस पाइपों के लिए जंग से सुरक्षा के लिए योजना की चर्चा ईआईए रिपोर्ट में करेंगे।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से जो प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे वे बहुत ही जूनियर लेवल के व्यक्ति थे, उनको प्रकरण के बारे में पर्याप्त जानकारी भी नहीं थी। अतः SEIAA द्वारा निर्देश दिये गये कि भविष्य में जिम्मेदार अधिकारी ही उपस्थित हो। योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब न हो इसलिये SEIAA द्वारा निर्णय लिया गया है कि SEAC द्वारा 762वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में अनुशंसित ToR अनुमोदित (Approved) किया जाता है एवं इसके साथ ही प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं को भी ईआईए प्रतिवेदन में शामिल किया जावे। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

21. **प्रकरण क्र. P-2/489/2024** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स डालमिया सीमेन्ट (भारत) लिमि, श्री कार्तिकेनयन वी., सहायक संचालक निवासी– पो. कल्लाकुड़ी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु (तमिलनाडु) द्वारा चूनापत्थर खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 0.46 मिलियन टन मिट्टी 0.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ओवरवर्डन 0.36 मिलियन टन प्रतिवर्ष खसरा नं. ग्राम बदरखां 200, 201/1, 201/2, 202, 203, 206, 207 एंव अन्य ग्राम बिगोड़ी खसरा नं. 90/1, 90/2, 91/1/1, 91/1/2, एवं अन्य ग्राम सन्नेही, सगटी 101/1/k, 101/1/kh, 101/2, एवं अन्य, रकबा 121.1 हेक्टेयर, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 747वी बैठक दिनांक 02.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

- *SEAC की 747वी बैठक दिनांक 02.05.2024 अनुसार ".....खदान क्षेत्र में लगभग 85 पेड़ हैं जो खनन के दौरान काटे जायेगें जिसके एवज में कुल 850 पेड़ लगाये जावेगें।....." अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी।*
- *प्रस्तावित खदान के स्वीकृत क्षेत्र मे मानव बसाहट स्थित है के संबध मे (ग्राम बदरखां, बिगोड़ी, सन्नेही एवं सगटी) ग्रामो की ग्राम पचायत अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव सहित जानकारी ।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल आनलाईन ADS के माध्यम से आपलोड किये जाने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगां। तद्नुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये ।

(आर. उमा माहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 12.07.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण को प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये।

22. **प्रकरण क. P-2/820/2024** परियोजना प्रस्तावक श्रीमति इन्दु अहुलूवालिया प्रोपराईटर, निवासी 267 के, वार्ड न. 9 सिन्धी केम्प, बांधवगढ कॉलोनी, रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.) द्वारा चूनापत्थर खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता चूनापत्थर 6,00,000 टन प्रतिवर्ष एवं ओवरबर्ड 1,78,864 टन प्रतिवर्ष रकबा 23.86 हेक्टेयर, खसरा कमांक 683, 687/1, 687/2, 710/1/1, 710/1/2, 710/2, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 719, 724/1, 724/2, 725, 726, 727, 728, 729/1, 729/2, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 737/1, 737/2, 738, 740/1/1, 740/1/2, 740/1/2/k, 740/2, 961/1 ग्राम भटीया तहसील– मैहर, जिला– सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **749वी बैठक दिनांक 13.05.2024** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 757वी बैठक दिनांक 24.05.2024 एवं 761वी बैठक दिनांक 30.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR अनुमोदित (Approved) किया जाता है, परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे :–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में कलेक्टर सतना द्वारा जारी एकल प्रमाण ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत अनापत्ति मय ठहराव प्रस्तावक के ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

<u>अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।</u>

(आर. उमा माहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष